<u>महत्वपूर्ण</u>

सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सैक्टर 1, सी–30 डिफैंस कालोनी, देहरादून

दूरभाष : 0135 – 2666778, 2666779 **ईमेल : uicddn@gmail.com**

सख्या : 9874 / उ.सू.आ. / 2011 दिनांक : 28/9

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून
2. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड
3. समस्त प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड

विषय : लोक सूचना अधिकारियों एवं प्रथम अपीलीय अधिकारियों के स्तर पर सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(3) का अनुपालन.

महोदय / महोदया,

सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत दी गयी व्यवस्था के अनुसार अधिनियम के अंतर्गत मांगी गयी सूचना 30 दिन के अंदर दिये जाने का प्राविधान है तथा जहां सूचना प्रदान करने के लिए अतिरिक्त शुल्क लिये जाने की आवश्यकता हो, वहां अधिनियम की धारा 7(3) के अंतर्गत अतिरिक्त शुल्क के लिए नोटिस भेजे जाने हेतु निम्नलिखित प्राविधान है :

7(3) जहां, सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहां यथास्थिति, लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को –

(क) उसके द्वारा यथाअवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे, जिनके साथ उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गयी संगणनाएं होंगी, देते हुये उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुये कोई संसूचना भेजेगा और संसूचना के प्रेषित और फीस के संदाय के बीच मध्यावर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जायेगा;

(ख) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध करायी गयी पहुंच के प्ररूप के बारे में, जिसके अंतर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां, समय–सीमा, प्रकिया और कोई अन्य प्ररूप भी हैं, विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुये कोई संसूचना भेजेगा.

2. आयोग में द्वितीय अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई के समय प्रायः यह देखने में आ रहा है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुरोधकर्ता को अतिरिक्त शुल्क जमा करने हेतु नोटिस अत्यंत विलम्ब से भेजा जाता है तथा कहीं–कहीं तो यह नोटिस देने में पूरे 30 दिन का समय लिया जाता है, जो कि उचित नहीं है. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) के अंतर्गत 30 दिन का समय सूचना देने हेतु निर्धारित किया गया है तथा यद्यपि अतिरिक्त शुल्क जमा करने हेतु नोटिस दिये जाने के लिए कोई समयावधि निर्धारित नहीं की गयी है, परंतु ऐसे नोटिस **एक समुचित समयावधि** के अंतर्गत ही दिये जाने चाहिए.

3. लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात अतिरिक्त शुल्क लिये जाने का निर्णय लिया जाता है तथा उसके बाद अतिरिक्त शुल्क की गणना कर शुल्क जमा करने का नोटिस प्रेषित किया जाता है. अतः इस प्रक्रिया में अधिकतम एक सप्ताह अथवा दस दिन का ही समय लगना चाहिए न कि पूरे 30 दिन का. अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार अतिरिक्त शुल्क का नोटिस दिये जाने से ले कर लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर शुल्क प्राप्त होने की तिथि के मध्य के दिनों को छोड़ कर, प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर ही सूचना दी जानी होती है. अतः इस तरह अकारण या जानबूझ कर विलम्ब करना अधिनियम की भावना के विपरीत है तथा यह लोक सूचना अधिकारी के स्तर पर अनुरोधकर्ता को जानबूझ कर परेशान करने की प्रवृत्ति का परिचायक है. अतः सूचना का अधिकार अधिनियम की भावना को दृष्टिगत रखते हुये लोक सूचना अधिकारियों के द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा करने का नोटिस प्रार्थना पत्र प्राप्त होने के **अधिकतम 10 दिन के अंदर दिया जाना** आवश्यक है, अन्यथा आयोग द्वारा यह माना जायेगा कि लोक सूचना अधिकारी के द्वारा जानबूझ कर नोटिस प्रेषित करने में विलम्ब किया गया है.

4. अतः यह आवश्यक है कि समस्त लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन दे दिया जाये ताकि भविष्य में उनके द्वारा अतिरिक्त शुल्क जमा करने का नोटिस उचित समयावधि के अंतर्गत प्रेषित किया जाये. कृपया इस संबंध में अपने अधीनस्थ समस्त लोक सूचना अधिकारियों तथा प्रथम अपीलीय अधिकारियों को उपरोक्तानुसार निर्देशित कर उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें.

भवदीय,

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त

प्रतिलिपि समस्त मण्डलायुक्त एवं समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड को इस निर्देश के साथ कि कृपया आयोग के उपरोक्त निर्देशों की जानकारी आपके स्तर पर आयोजित किये जाने वाली मण्डलीय तथा जनपद स्तरीय समीक्षा बैठकों में समस्त संबंधित अधिकारियों को उनके मार्गदर्शन तथा अनुपालन हेतु देने का कष्ट करें.

(एन. एस. नपलच्याल)
मुख्य सूचना आयुक्त